मुद्रा में सतर्कता तंत्र
VIGIL MECHANISM IN MUDRA

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, मुद्रा ने सिडबी की सतर्कता नियमावली को अपनाया है। अत: मुद्रा, सिडबी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की निगरानी में है और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों और नियमावली द्वारा अभिशासित है। मुद्रा समय-समय पर सीवीसी की सलाह के अनुसार उनकी अपेक्षाओं का पालन करता है ।

In accordance with provisions of the Companies Act, 2013 and being a wholly owned subsidiary of Small Industries Development Bank of India (SIDBI), MUDRA has adopted the Vigilance Manual of SIDBI. Therefore, MUDRA is under the oversight of Chief Vigilance Officer (CVO), SIDBI, and is governed by the guidelines and manual of Central Vigilance Commission (CVC). MUDRA will abide by the requirements of CVC as being advised from time to time.

महत्वपूर्ण विशेषताएं / Important Features

- मुद्रा, भारत सरकार द्वारा नियुक्त नामित एजेंसी होने के कारण केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायत या प्रकटीकरण प्राप्त करेगा।

  CVC shall, as the Designated Agency appointed by the Government of India, receive written complaints or disclosure on any allegation of corruption or of misuse of office by any employee of MUDRA
- नामित एजेंसी शिकायतकर्ता की पहचान सुनिश्चित करेगी; यदि शिकायतकर्ता गुमनाम है, तो वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

  The Designated Agency will ascertain the identity of the complainant; if the complainant is anonymous, it shall not take any action in the matter.
- शिकायतकर्ता की पहचान तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता ने स्वयं या तो शिकायत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है या किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण को अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया है।

<u>मुद्रा में सतर्कता तंत्र</u>
<u>VIGIL MECHANISM IN MUDRA</u>

The identity of the complainant will not be revealed unless the complainant himself / herself has made either the details of the complaint public or disclosed his /her identity to any other office or authority.

- आगे की रिपोर्ट/जांच की मांग करते समय, सीवीसी सूचक की पहचान का खुलासा नहीं करेगा और अगर किसी भी कारण से संगठन के प्रमुख को पहचान का पता चलता है तो संबंधित प्रमुख से सूचक की पहचान को गुप्त रखने का अनुरोध करेगा।

  While calling for further report/investigation, CVC shall not disclose the identity of the informant and also shall request the concerned head of the organisation to keep the identity of the informant a secret, if for any reason the head comes to know the identity.

- केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार जांच को पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक समझे जाने पर सीबीआई या पुलिस अधिकारियों को बुलाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

  CVC shall be authorised to call upon the CBI or the police authorities, as considered necessary, to render all assistance to complete the investigation pursuant to the complaint received.

- यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से व्यथित है कि उसे इस तथ्य के कारण पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत या प्रकटीकरण दर्ज किया है, तो वह मामले में निवारण के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष आवेदन दायर कर सकता है, जिसमें आयोग संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण को उचित निर्देश दे सकता है।

  If any person is aggrieved by any action on the ground that he is being victimized due to the fact that he had filed a complaint or disclosure, he may file an application before CVC seeking redress in the matter, wherein CVC may give suitable directions to the concerned person or the authority.

- यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को उचित निर्देश जारी करेगा।

  If CVC is of the opinion that either the complainant or the witnesses need protection, it shall issue appropriate directions to the concerned government authorities.

मुद्रा में सतर्कता तंत्र
VIGIL MECHANISM IN MUDRA

- यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग शिकायत को प्रेरित या परेशान करने वाली समझता है, तो यह उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

  In case CVC finds the complaint to be motivated or vexatious, it shall be at liberty to take appropriate steps.

- केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी ऐसे खुलासे पर विचार या पूछताछ नहीं करेगा जिसके संबंध में लोक सेवक पूछताछ अधिनियम, 1850 के तहत औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया है, या ऐसा मामला जिसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच के लिए संदर्भित किया गया है।

  CVC shall not entertain or inquire into any disclosure in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants Inquiries Act, 1850, or a matter that has been referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952.

- सीवीसी के विपरीत दिशा-निर्देशों के बावजूद सूचक की पहचान उजागर होने की स्थिति में, सीवीसी इस तरह का खुलासा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत है।

  In the event of the identity of the informant being disclosed in spite of CVC’s directions to the contrary, CVC is authorised to initiate appropriate action as per extant regulations against the person or agency making such disclosure.

शिकायत दर्ज करते समय पालन योग्य तौर-तरीके

Modalities to be observed while lodging complaints

किसी भी शिकायत को निम्नलिखित पहलुओं का पालन करना चाहिए:

Any complaint which is to be made should comply with the following aspects :

- शिकायत बंद / सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए और इन्हें सीधे भेजा जाना चाहिए

  The complaint should be in a closed / secured envelope and must be sent directly to

मुद्रा में सतर्कता तंत्र
VIGIL MECHANISM IN MUDRA

- **लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को निम्नलिखित पते पर:**

  अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

  माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड)

  स्वावलंबन भवन, प्लॉट नंबर सी-11, 'जी' ब्लॉक,

  बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),

  मुंबई - 400051

  महाराष्ट्र

  The Audit Committee Chairman, at the following address:
  Chairman, Audit Committee
  Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA Ltd)
  SWAVALAMBAN BHAVAN, Plot No. C-11, 'G' Block,
  Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
  Mumbai - 400051
  Maharashtra

- **केंद्रीय सतर्कता आयोग को निम्नलिखित पते पर:**

  सचिव,

  केंद्रीय सतर्कता आयोग,

  भारत सरकार,

  सतर्कता भवन,

  जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक "ए", आईएनए,

  नई दिल्ली-110 023

  The Central Vigilance Commission, at the following address:
  The Secretary,
  Central Vigilance Commission,
  Government of India,
  Satarkata Bhavan,
  GPO Complex, Block “A”, INA,
  New Delhi-110 023

मुद्रा में सतर्कता तंत्र
VIGIL MECHANISM IN MUDRA

- उपरोल्लिखित को संबोधित किया जाना चाहिए और लिफाफे पर "जनहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा जाना चाहिए। यदि लिफाफा के यह ऊपर लिखा न हो और बंद नहीं किया गया है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए उपरोक्त संकल्प के तहत शिकायतकर्ता की रक्षा करना संभव नहीं होगा और शिकायत को सीवीसी की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार निपटाया जाएगा। शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में देना चाहिए।

  The envelope should be addressed to above and should be superscribed “Complaint under the Public Interest Disclosure”. If the envelope is not superscribed and closed, it will not be possible for CVC to protect the complainant under the above resolution and the complaint will be dealt with as per the normal complaint policy of CVC. The complainant should give his/her name and address in the beginning or end of complaint or in an attached letter.
- केंद्रीय सतर्कता आयोग गुमनाम/छद्मनाम वाली शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।

  CVC will not entertain anonymous / pseudonymous complaints.
- शिकायत का पाठ सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसकी पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न दिया जा सके। हालांकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।

  The text of the complaint should be carefully drafted so as not to give any details or clue as to his/her identity. However, the details of the complaint should be specific and verifiable.
- व्यक्ति की पहचान की रक्षा के लिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा और सूचकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ आगे कोई पत्राचार न करें। सीवीसी आश्वासन देता है कि, मामले के तथ्यों के सत्यापन योग्य होने पर, यह आवश्यक कार्रवाई करेगा, जैसा कि पीआईडीपीआई पर भारत सरकार के संकल्प के तहत प्रदान किया गया है। यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो सीवीसी शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा।

<u>मुद्रा में सतर्कता तंत्र</u>

<u>VIGIL MECHANISM IN MUDRA</u>

In order to protect identity of the person, CVC will not issue any acknowledgement and the whistle-blowers are advised not to enter into any further correspondence with CVC in their own interest. CVC assures that, subject to the facts of the case being verifiable, it will take the necessary action, as provided under the Government of India Resolution on PIDPI. If any further clarification is required, CVC will get in touch with the complainant.

- आयोग इस संकल्प के तहत उत्प्रेरित / परेशान करने वाली शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है।

  The Commission can also take action against complainants making motivated/vexatious complaints under this Resolution.